

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

सं०सं०-17/विविध 1-101/2025

पटना, दिनांक- / / 2025

आदेश

डा० रविन्द्र कुमार, प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी को वित्त विभागीय पत्राक-9889/वि० दिनांक-01.12.2015 के कंडिका-(2) एवं (3) के आलोक में दिनांक-25.06.2025 से 09.07.2025 (कुल 15 दिन) तक की अवधि में अपने द्वितीय संतान हेतु पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(रेणु कुमारी)  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

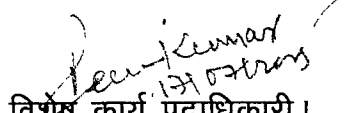
ज्ञापांक :-17/विविध 1-101/2025 — 769(17) पटना, दिनांक :-21/10/2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० रविन्द्र कुमार, प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।